श्रीमती ... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 11/8/14
को प्रस्तुत

510/11-08-2014

अधीक्षक

श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

R-2801-PBR/14

लालचन्द पिता भागीरथ
आयु 70 वर्ष धंधा कृषि
निवासी ग्राम आम्बाचंदन तह. महू — प्रार्थी

विरूद्ध

ताराचंद पिता नागूजी
आयु 60 वर्ष धंधा कृषि
आम्बाचंदन तह. महू — प्रतिप्रार्थी

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म. प्र.भू.रा.स के अंतर्गत

प्रार्थी का सादर निवेदन है कि

1. प्रार्थी यह रिवीजन याचिका माननीय नायब तहसीलदार महोदय (निधी वर्मा) महू द्वारा प्रकरण क. 1.अ–70 / 12–13 ताराचंद विरूद्व लालचंद के प्रकरण मे दिनाक 11.7.2014 को प्रार्थी के आवेदन आदेश 7 नियम 11 मे पारित आदेश से पिड़ीत होकर उसके विरूद्व यह रिवीजन याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा है।

R. 280/- AMR/14

22-6-2016

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 18.11.2014 की पेशी पर आवेदक की ओर से गीता भरवानी अभिभावक उपस्थित हुई है, तब से लगभग डेढ़ वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः आवेदक के प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं लेने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.